निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 88 / 2019
दायरा दिनांकः–27.08.2019
निर्णय दिनांकः– 30.9.24

उनवान

1. गुलाबचन्द पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी ग्राम भूलोन
2. रामचरण पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी ग्राम भूलोन
3. जगन्नाथ पुत्र मोहनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम भूलोन तहसील छबडा जिला बारा (राज0)

बनाम

1. ग्राम पंचायत भूलोन जर्ये सचिव रईस भाई भूलोन
2. ग्राम पंचायत भूलोन जर्ये सरपंच मुकेश मेहरा पुत्र रंगलाल जाति मेहरा निवासी ग्राम भूलोन तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. विजय मीणा पुत्र जगदीश निवासी खेडली पंचायत भूलोन
4. नंदकिशोर पुत्र बद्रीलाल लोधा निवासी खेडली पंचायत भूलोन
5. दिनेश पुत्र भूरालाल जाति मीणा निवासी ग्राम खेडली ग्राम पंचायत भूलोन
6. अर्जुन लोधा पुत्र रामदयाल जाति लोधा निवासी ग्राम खेडली पंचायत भूलोन
7. सुभाष पुत्र बृजमोहन जाति मीणा निवासी खेडली ग्राम पंचायत भूलोन
8. चन्दु पुत्र भगवान जाति मीणा निवासी ग्राम खेडली ग्राम पंचायत भूलोन तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः– 30.9.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री नारायणलाल चौरसिया– वादी
2. श्री भगवान कृष्णा बलरिया – प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए विरूद्व अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम भूलोन तहसील छबडा में भूमि खाता संख्या 60 / 56 की खसरा नम्बर 487 रकबा 10 बिस्वा खसरा नंबर 498 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 499 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 500 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 501 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा कुल किता पांच रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है. जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है तथा भूमि खाता संख्या 143 / 140 की खसरा नंबर 485 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 486 रकबा 09 चिस्वा कुल किता दो रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा भूमि ग्राम भूलोन तहसील छबड़ा में स्थित है। जो वादी कम 2 के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। दोनों नंबरान की भूमि पास–पास स्थित है। जो वादीगण के कब्जे काश्त में स्थित है। वादीगण की भूमि खाता संख्या 60 / 56 की 03 बीघा 17 बिस्वा के पास ही

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

छात्रावास बना हुआ है, छात्रावास का निर्माण होते समय पी०डब्ल्यू०डी० व पंचायत द्वारा पैमाइश करवाकर छात्रावास का निर्माण करवाया था तथा बाउंड्रीवाल करके वादीगण के खातेदारी की भूमि छोडकर बाउंड्रीवाल का निर्माण किया था। वादीगण उक्त पैमाइश के आधार पर वादीगण ने अपने हिस्से में मकान बनाकर बाउंड्रीवाल स्वयं के खातेदारी की भूमि में करके निर्माण कर लिया। तब से वादीगण अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में कब्जा काश्त करके निवास करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी कम 1 व 2 ने प्रतिवादी कम 3, 4, 5 व 6 के बहकावे में आकर राजनैतिक द्वेषतापूर्ण तरीके से वादीगण को नोटिस ग्राम पंचायत द्वारा दिलवाया गया कि आप द्वारा मेला मैदान की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि की पैमाइश पूर्व में छात्रावासा का निर्माण हुआ व छात्रावास की बाउंड्रीवाल हुई, तब पैमाइश कर भूमि वादी को संभलाई गई थी, तब से वादी कब्जा काश्त करके निवास करता आ रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा हल्का पटवारी को अपने स्तर पर बुलाकर मौखिक रूप से हाथ के ईशारे के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को नोटिस दिनांक 18.07.2019 को दिया। जब वादीगण ने पूर्व की पैमाइश रिपोर्ट निकलवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने पैमाइश रिपोर्ट बताने से इंकार करने पर तथा जबरन प्रतिवादीगण द्वारा बेदखल करने की धमकी देने पर वाद कारण दिनांक 22.08.2019 को उत्पन्न हुआ।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल नोटिस सरपंच ग्राम पंचायत भूलोन नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 60 नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 143 पेश किया गया।

तनकी कायम करते समय पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 60 के अनुसार खसरा नम्बर 487,498,499,500,501 कुल किता 5 रकबा 3.17 बीघा जगन्नाथ पुत्र मोहनलाल हिस्स 1/2 मांगीलाल पुत्र बाबूलाल शीला पुत्री बाबूलाल चम्पाबाई पत्नि स्व0 बाबूलाल हिस्सा 1/2 जाति मीना के खातेदारी में दर्ज हे नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 143 के खसरा नम्बर 485 रका 1.10 बीघा खसरा नम्बर 486 रकबा 0.09 बिस्वा रामचरण पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है इससे यह साबित होता है कि खाता संख्या 60 की भूमि में वादी रामचरण एवं गुलाबचन्द खातेदार नही है एवं खाता संख्या 143 में गुलाबचन्द एवं जगन्नाथ खातेदार नही है वादी द्वारा धारा 188 में अनुतोष चाहा गया है जो केवल खातेदार कृषको को ही अधिकार है अर्थात् वादी द्वारा बिना खातेदार हुए अस्पष्ट अनुतोष चाहा गया है लिहाजा तनकीयात कायम नही की जा सकती एवं वाद खारिज किए जाने योग्य है। तथा वादी को सभी सह खातेदारार पक्षकार बनाने चाहिये थें। वह नही बनाये। वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष अस्पष्ट है तथा वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष मूलतः पैमाईश से सम्बन्धित है तथा अन्य सहखातेदारों को पार्टी नही बनाया गया अतः

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थी का वाद पत्र धारा 188 आर0टी0एक्ट के अन्तर्गत चलने योग्य नही है। वाद का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: **क्रियात्मक आदेश** ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

प्राथमिक डिक्री

वाद संख्या 88 / 2019	धारा 188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 30.09.2024
समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादी:–श्री नारायणलाल चौरसिया–वादी	अभिभाषक प्रतिवादी:–श्री भगवान कृष्ण बलरिया	

वाद शीर्षक

उनवान

1. गुलाबचन्द पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी ग्राम भूलोन
2. रामचरण पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी ग्राम भूलोन
3. जगन्नाथ पुत्र मोहनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम भूलोन तहसील छबडा जिला बारा (राज0)

बनाम

1. ग्राम पंचायत भूलोन जर्ये सचिव रईस भाई भूलोन
2. ग्राम पंचायत भूलोन जर्ये सरपंच मुकेश मेहरा पुत्र रंगलाल जाति मेहरा निवासी ग्राम भूलोन तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. विजय मीणा पुत्र जगदीश निवासी खेडली पंचायत भूलोन
4. नंदकिशोर पुत्र बद्रीलाल लोधा निवासी खेडली पंचायत भूलोन
5. दिनेश पुत्र भूरालाल जाति मीणा निवासी ग्राम खेडली ग्राम पंचायत भूलोन
6. अर्जुन लोधा पुत्र रामदयाल जाति लोधा निवासी ग्राम खेडली पंचायत भूलोन
7. सुभाष पुत्र बृजमोहन जाति मीणा निवासी खेडली ग्राम पंचायत भूलोन
8. चन्दु पुत्र भगवान जाति मीणा निवासी ग्राम खेडली ग्राम पंचायत भूलोन तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 30.9.24 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला बारा

व्ययानुतोष			
		वादी	प्रतिवादी
क्र.सं.	व्यय मद		
1.	वदपत्र / लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		